न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 11/2013 (75 एल0आर0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या— 2013/000082

उनवान

भगवानलाल पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सलैमाबाद हाल निवासी आदमपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. महाराज सिंह पुत्र गोकुल सिंह जाति अहीर निवासी किला बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. सुनीता पत्नी मान सिंह
3. गीता पत्नी कल्याण सिंह
4. प्रतिभा पत्नी केदार
5. चन्द्रकला पत्नी मोहन सिंह
6. पूजा पत्नी गुमान सिंह

जातिगण ठाकुर निवासीगण ठाकुरपाडा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2013 प्रकरण संख्या 84/2011 न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर उनवानी भगवानलाल बनाम महाराज सिंह।

अभिभाषकगण :—
1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।
2. अभिभाषक रेस्पोडेण्ट श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे उपस्थित।

निर्णय **दिनांक :—17.07.2018**

1. यह अपील इस न्यायालय में जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.09.2013 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन नियम 1970, विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 448/687 रकवा 08 बीघा वाके ग्राम आदमपुर तहसील बाडी पर रैस्पो0/अप्रार्थीगण ने अवैध रूप से अपने नाम इन्द्राज खातेदारी कराकर उसका विक्रय कर दिया। जबकि विवादित आराजी पर हमेशा से अपीलाण्ट/प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। रैस्पो0/अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रैस्पो0/अप्रार्थी के पक्ष में विवादित आराजी के सम्बन्ध में हुये आवण्टन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं पर गौर ना करके दस्तावेजी तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। विवादित आराजी का आवंटन वर्ष 1986 में रैस्पो0 को अवैध रूप से हुआ है। रैस्पो0 का भाई रामबाबू पटवारी के पद पर कार्यरत था इसलिए उसने अपने पद को दुरूपयोग करके रैस्पो0 को विवादित भूमि का आवंटन कराया। विवादित आराजी पर हमेशा से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है, रैस्पो0 का उक्त भूमि से कभी कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है एव ंना ही उनका कब्जा काश्त है। विवादित भूमि वक्त आवंटन खाली भूमि नहीं थी, बल्कि उस पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त था। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 ने स्वयं को भूतपूर्व सैनिक एवं भूमिहीन बताकर गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन कराया है एवं रैस्पो0 ग्राम आदमपुर का निवासी ना होकर कस्बा बाडी का निवासी है, जो आवंटन हेतु पात्र नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किये जाने की कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट का विवादित भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका मौके पर कब्जा है एव ंना ही विवादित भूमि उसके उपभोग–उपयोग में आ रही है। साथ ही अपीलांट के कथनो से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि वह आवंटन आदेश से किस प्रकार व्यथित पक्ष है, और यदि वह व्यथित था तो आवंटन के तुरंत बाद उसके द्वारा कोई एतराज क्यों नहीं किया गया। आवंटन के लगभग 25 वर्ष पश्चात आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही किया जाना कतई तर्कसंगत एवं विधिमान्य नहीं है। रैस्पो0 आर्मी से सेवानिवृत होने के पश्चात् विवादित भूमि का आवण्टन कराया था एवं वक्त आवंटन वह भूमि हीन कृषक था। वर्ष 2007 में रैस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं विवादित आराजी को दिनांक 20.08.2011 को रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 6 के हक में विक्रय कर दिया। रामबाबू पटवारी रैस्पो0 का भाई अवश्य है परन्तु उसके प्रभाव अथवा सहयोग से ना तो विवादित भूमि रैस्पो0 को आवण्टित हुई ना ही उसे खातेदारी अधिकार प्रदान हुये। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अपने कथित कब्जे काश्त को सिद्ध करने बाबत् कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वक्त आवण्टन विवादित भूमि मौके पर खाली थी एवं रैस्पो0 को आवण्टन की समस्त शर्तो की पालना किये जाने के पश्चात् वर्ष 2011 में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से सही खारिज किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि प्रश्नगत आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है। अपीलाण्ट/प्रार्थी ने प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ, भू आवंटन नियम 1970, विरूद्ध आवण्टन आदेश दिनांक 24.05.1986, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.08.2011 को आवंटन के 25 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जो काफी देरीना है एवं देरी का कोई उचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इतना सुदीर्घ विलम्ब, अपीलाधीन आवण्टन के विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रार्थी की चुनौती को क्षीर्ण एवं प्रभावहीन करता है। विवादित भूमि पर आवंटी खातेदार दर्ज हो चुके हैं एवं उनके द्वारा रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 6 के पक्ष में दिनांक 20.08.2011 से विवादित आराजी को विक्रय किया जा चुका है। आवंटित भूमि पर खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की परिधि में उक्त प्रकरण नही आने के कारण नियम 14(4)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का प्रार्थना पत्र कानून के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आर0आर0टी0 2011(1) पेज 383 में यह ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अपीलाण्ट/प्रार्थी विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त कहकर आये हैं। किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे उनका कब्जा काश्त साबित होता हो। यदि तर्क के लिए अपीलाण्ट/प्रार्थी का कब्जा माना भी जावें, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी मे माना जावेगा। इस प्रकार के अवैध कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट/प्रार्थी को नियमानुसार कोई अधिकार सृजित नही होते हैं। अतः हम आवण्टन निरस्त करने की ओर प्रवृत होना, उचित नहीं पाते हैं।

6. अपीलाण्ट ने यह भी आपत्ति की हैं कि आवंटी रैस्पो0 के भाई रामबाबू, पटवारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर, विवादित भूमि का आवण्टन कराया है। परन्तु रामबाबू ने किस प्रकार अपने पटवारी पद का प्रभाव, आवंटी रैस्पो0 के पक्ष में किया; स्पष्ट नहीं किया है अतः आपत्ति अपीलाण्ट सारपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनका यह कथन कि भूतपूर्व सैनिक को सदभावी काश्तकार नहीं माना जा सकता है, भी कोई प्रभाव नहीं रखता है। हम पाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ) आवण्टन नियम 1970 की धारा 11(3) E व G अनुसार यदि एक ही भूखण्ड की अपेक्षा करने वाले एक से अधिक आवेदक हो तो भूतपूर्व सैनिक को आवण्टन हेतु प्राथमिकता दी गयी है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.09.2013 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official